भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3145

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

अनिवासी भारतीयों के आधार नामांकन

3145. श्री अरुण नेहरू:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में सभी संपत्ति पंजीकरणों के लिए आधार संख्या को अनिवार्य करने के कारण अनिवासी भारतीयों के समक्ष आ रही विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का इस हेतु एक स्पष्ट प्रक्रिया तय करने का विचार है जिसके द्वारा अनिवासी भारतीय बिना प्रतीक्षा के आधार संख्या प्राप्त कर सकें; और

(ख) भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से अनिवासी भारतीयों के कागजी कार्यवाही को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ख)**: आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है जिसमें 133 करोड़ से अधिक व्यक्ति शामिल हैं और 13,270 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन पूरे किए गए हैं।

कोई भी अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जिसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है, वह भारत आगमन के तुरंत बाद बिना किसी निवास आवश्यकता के अपना आधार नंबर प्राप्त करने के लिए आधार नामांकन केंद्र पर आवेदन कर सकता है। इसके बाद, यूआईडीएआई सटीकता और पूर्णता के लिए एनआरआई के बायोमेट्रिक डेटा (उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन) और जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, आदि) की जांच करता है और सत्यापित करता है कि उसके द्वारा प्रदान किया गया डेटा दोहराव को रोकने के लिए आधार डेटाबेस में मौजूदा रिकॉर्ड के साथ मेल नहीं करता है। आंकड़ों के सत्यापन और डी-डुप्लीकेट के बाद यूआईडीएआई विशिष्ट आधार संख्या सृजित करता है जिसका प्रयोग अनिवासी भारतीय विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वयं के सत्यापन हेतु कर सकता है।

भारत सरकार ने भारत में व्यापार करने के इच्छुक अनिवासी भारतीयों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें मेक इन इंडिया पहल और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जैसी हैं, जिन्होंने सरलीकृत प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों, जैसे कि आसान पंजीकरण प्रक्रियाएं, कर छूट और नए व्यवसायों के लिए तुरंत मंजूरी की शुरुआत की। इसी तरह, ऑनलाइन पोर्टलों की स्थापना ने एनआरआई को कंपनियों को निगमित करने, करों के लिए पंजीकरण करने और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को डिजिटल रूप से पूरा करने में सक्षम बनाया है, जिससे व्यापक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

*****